(10)

संख्याः 1305 /XV-1//1(6)2011

प्रेषक,

अरूण कुमार ढौंडियाल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पशुपालन विभाग,
उत्तराखण्ड देहरादून।

पशुपालन अनुभाग–1 देहरादून : दिनांक 29 नवम्बर, 2011

विषयः **अटल आदर्श ग्राम योजनान्तर्गत स्वीकृत पशु सेवा केन्द्रों के भवन निर्माण हेतु अनुदान संख्या–28 के अन्तर्गत धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1487/नि.–5/एक(16)/भ०नि०रा०सै० (अ०आ०)/2011–12 दिनांक 02 अगस्त, 2011 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 में अनुदान संख्या–28 के अन्तर्गत अटल आदर्श ग्राम योजनान्तर्गत स्वीकृत निम्नांकित पशु सेवा केन्द्रों के भवन निर्माण हेतु वित्त विभाग के टी०ए०सी० द्वारा आंगणन की आंकलित धनराशि ₹ 95.74 लाख के सापेक्ष औचित्यपूर्ण धनराशि **₹ 92.31 लाख (₹ बयानब्बे लाख इक्कतीस हजार मात्र)** की वित्तीय/प्रशासकीय स्वीकृति संलग्न आंगणन के अनुसार निम्न विवरणानुसार व्यय हेतु आपके निवर्तन पर निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रादिष्ट किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(धनराशि ₹ लाख में)

क्र० सं०	पशु सेवा केन्द्र का नाम	टी०ए०सी० द्वारा अनुमोदित/जारी स्वीकृति	निर्माण एजेन्सी का नाम
1.	पशु सेवा केन्द्र लिब्बरहेड़ी, हरिद्वार	21.14	ग्रामीण अभियंत्रण सेवा
2.	पशु सेवा केन्द्र मोहम्मदपुर जट (ब्रहमपुरजट,) हरिद्वार	22.76	ग्रामीण अभियंत्रण सेवा
3.	पशु सेवा केन्द्र मुण्डलाना, हरिद्वार	19.72	ग्रामीण अभियंत्रण सेवा
4.	पशु सेवा केन्द्र भौरी (मगरूबपुर,) हरिद्वार	28.69	ग्रामीण अभियंत्रण सेवा
योग		**92.31**	

(1) कार्य करने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियंता द्वारा स्वीकृत /अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शेड्यूल ऑफ रेटस में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गयी हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियंता/सक्षम अधिकारी से अनुमोदित करना आवश्यक होगा।

(2) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।

(3) कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

(4) कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता (कार्य की आवश्यकतानुसार) से कार्य स्थल का भली–भाँति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाए तथा निरीक्षण के पश्चात् दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाए।

(5) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV-219(2006)/ दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

(6) यदि विभिन्न मदों हेतु स्वीकृत धनराशि अवशेष रहती है, तो उक्त धनराशि द्वितीय चरण के आगणन में समायोजित की जाय।

(7) कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व Uttarakhand Procurement Rules, 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

(8) धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व जहॉ कहीं आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा शासन द्वारा समय–समय पर जारी किये गये मितव्ययता संबंधी निर्देशों का पालन अवश्य किया जाय।

(9) बजट मैनुअल में निर्धारित प्रक्रिया के अधीन कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या एवं दिनांक के आधार पर अंकित बजट की सीमा में प्रतिमाह 5 तारीख तक प्रपत्र बी०एम०–13 पर विभागाध्यक्ष द्वारा सूचना वित्त विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाय।

(10) इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत रूप से व्यय न किया जाय। धनराशि का व्यय एवं आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जाय।

(11) एक मुश्त प्राविधानों को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय। निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय।

(12) अवमुक्त की गयी धनराशि को दिनांक–31.03.2012 तक उपयोग कर उपयोगिता प्रमाण–पत्र, भौतिक एवं वित्तीय प्रगति शासन को उपलब्ध कराई जाय। धनराशि अवशेष होने की स्थिति में धनराशि कोषागार में जमा कराई जायेगी।

2. उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 में अनुदान संख्या–28 के लेखाशीर्षक–4403–पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय–00–101–पशुचिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य–10–पशु चिकित्सालयों/पशु सेवा केन्द्रों के भवन निर्माण–24 वृहद निर्माण कार्य के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या 209/XXVII(1)/2011 दिनांक 31.03.2011 द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों के क्रम में जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(अरूण कुमार ढौंडियाल)
सचिव

संख्याः 1305 (1) / XV-1/ 2011 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड।
2. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
3. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार।
5. मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, हरिद्वार।
6. अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा प्रखण्ड, हरिद्वार।
7. बजट राजकोषीय नियोजन तथा संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय देहरादून।
9. वित्त अनुभाग–4/नियोजन अनुभाग।
10. मीडिया सेन्टर, उत्तराखण्ड सचिवालय।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जी०बी० ओली)
संयुक्त सचिव